

!! कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान- बीकानेर !!

क्रमांक-शिविरा/प्रार/प्राथ/सी/19404/97-98/313

दिनांक 25/6/2001

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,  
नई दिल्ली ।

ANNEXURE -

2

विषय:- सेन्ट पात स्कूल, पाली को कक्षा आठ तक की सी. बी. एस. सी. से संयोजता हेतु अनुमति देने बाबत ।

प्रति :- संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन ।

महोदय,

विद्यमानतः हमें विदित है कि सेन्ट पात स्कूल, पाली ने कक्षा आठ तक सी. बी. एस. सी. नई दिल्ली से संयोजता हेतु आवेदन किया है संस्था विभाग द्वारा कक्षा आठ तक स्थाई मान्यता प्राप्त है । राज्य सरकार के पत्रांक प. 15/2/शिविरा/2001/ जयपुर दिनांक 19.3.2001 के प्रथम में संस्था को कक्षा आठ तक की सी. बी. एस. सी. से संयोजता आप द्वारा दी जाती है तो प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर को बोर्ड आपरिच नहीं है ।

निदेशक,  
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर ।

क्रमांक-शिविरा/प्रार/प्राथ/सी/19404/97-98/

दिनांक 25/6/2001

प्रतिलिपि निम्न को सुचारु :-

1- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, पाली ।

2- सचिव, सेन्ट पात स्कूल, जोधपुर रोड, पाली ।

निदेशक,  
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर ।